

न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर



पीठासीन अधिकारी : डॉ० प्रदीप के. गावंडे  
नियम 22(3) प्रार्थना पत्र संख्या : 04/2017

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, नाचना-2  
बनाम

होशियार सिंह पुत्र श्री मालाराम यादव साकिन काकरदोपा  
तहसील बहरोड, जिला अलवर

- अप्रार्थी

उपस्थिति :

1. राजस्थान सरकार - पैरोकारराज
2. श्री विनोद नाथ - अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 24-04-2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपनिवेशन तहसीलदार, नाचना-2 ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र नियम 22(3) के अन्तर्गत दिनांक 22-03-2017 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 12-06-2004 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत उपनिवेशन तहसील, पूगल के चक 3 एसएलएम के मुरब्बा नम्बर 236/22 में 25-00 बीघा अ०क० भूमि का आवंटन किया गया तथा इसके पश्चात उक्त आवंटित भूमि 50 प्रतिशत से अधिक अनकमाण्ड होने के कारण दिनांक 4-6-2007 को उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ-2 के चक नम्बर 78 एसडी के मु०नं० 56/23 में 24-05 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। अतः आवंटन सदिग्ध है। यह है कि दिनांक 28-09-2007 को आवंटन अधिकारी ने अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर चक 78 एसडी के मुरब्बा नम्बर 56/23 में 24-05 बीघा अन्य को आवंटित होने से बिना आवंटन सलाहकार समिति की बैठक के व बिना विनिमय स्वीकृत किये सीधे ही उपनिवेशन तहसील, नाचना-2 के चक 12 डीडब्ल्यूएम के मु०नं० 108/53 में 24-10 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित कर आवंटन आदेश जारी कर दिया जबकि उक्त प्रकरण उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ-2 से दोहरे आवंटन का प्रकरण तैयार कर विनिमय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता व विनिमय कमेटी द्वारा सक्षमक रने के पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर अन्यत्र आवंटन किया जा सकता है जबकि उक्त प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही आवंटन कर दिया गया है। उक्त आवंटन/विनिमय सदिग्ध है जो निरस्त योग्य है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने उपनिवेशन तहसीलदार, नाचना-2 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 28-9-2007 द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार, नाचना-2 के चक नम्बर 12 डीडब्ल्यूएम के मु०नं० 108/53 में

216  
26/7/17  
117  
17/4/2017

24-10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। इस प्रकार दिनांक 28-09-2007 को किये गये आवंटन को नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी वकील ने उपस्थित होकर बहस की। बहस के अनुसार अप्रार्थी काकरदोपा तहसील बहरोड, जिला अलवर राजस्थान का मूल निवासी है तथा उसे से सद्भावी काश्तकार है। भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर राज्य सरकार की नीति एवं नियमानुसार कृषि भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व पात्रता के आधार पर दिनांक 12-6-2004 को उपनिवेशन तहसील, पूगल के चक 3 एसएलएम के मुरब्बा नम्बर 236/22/11 में 25-00 बीघा अ0क0 भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटित भूमि संपूर्ण अनकमाण्ड होने के कारण व उंचे टिब्बे व खाली बंजड होने के कारण दिनांक 4-6-2007 को ऑर्डरशीट पर उल्लेख अनुसार जिला कलक्टर, बीकानेर/जैसलमेर की अध्यक्षता में गठित विनिमय कमेटी के निर्णय अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्री होशियार सिंह को उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ-2 के चक नम्बर 78 एसडी के मु0न0 56/23 में 24-05 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन किया गया था। उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त रकबा पूर्व में दाख कंवर पत्नी खेतसिंह को आवंटन होने के कारण आवंटन अधिकारी द्वारा डबल आवंटन में अप्रार्थी को दिनांक 28-9-2007 को उपनिवेशन तहसील, नाचना-2 में चक 12 डीडब्लूएम के मु0न0 108/53 में 24-10 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन की गयी थी। अप्रार्थी को डबल आवंटन होने के कारण ऐसे अलाटियों को अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश राज्य सरकार ने दिये थे। राज्य सरकार के आदेशानुसार ही अप्रार्थी को सक्षमता अनुसार अन्य भूमि आवंटन की जानी थी जो की गयी। यह प्रकरण डबल आवंटन होने के कारण अन्य भूमि का आवंटन करने का है। विनिमय का प्रकरण नहीं बनता है। इस कारण नोटिस खारिज योग्य है। डबल आवंटन के प्रकरण विनिमय समिति में रखे जाने का दायित्व आवंटन अधिकारी का है। यह कार्य अलोटी द्वारा नहीं किया जाता है अपितु कार्यालय द्वारा संचालित एवं संरक्षित होता है जिस पर अलोटी का किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं होता है। आफिशियल मिस्टेक के लिये पार्टी को पेनेलाईज नहीं किया जा सकता। नोटिस में कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि उक्त आवंटन अगेंस्ट लॉ कैसे हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व निरस्त योग्य है। धारा 22 के नोटिस में कारण अंकित किये हैं वो केवल तकनीकी बिन्दु है तथा उक्त कार्रवाई कार्यालय से संबंधित है अप्रार्थी से नहीं। इस कारण टेक्नीकल बिन्दु पर उक्त आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। RULE 14(4) The completion of formalities is the responsibility of the revenue staff and it is for the concerned officers to ensure that all formalities have been completed (before an application is considered for allotment) where the allottee has committed no fraud nor has he made any misrepresentative his old allotment cannot be cancelled on mere technicalities. वकील अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रकरण विनिमय का मानकर श्रीमान द्वारा कार्रवाई की जा रही है जबकि विनिमय का अर्थ एक्सचेंज से है। एक्सचेंज की परिभाषा आवंटन नियम, 1954 की धारा 12 में दिया गया है। धारा 12 के मुताबिक उक्त प्रकरण उस परिधि में नहीं आता है। इस कारण जो कार्रवाई की गई है वो विधि सम्मत नहीं है। अप्रार्थी वकील ने निवेदन किया है कि आवंटन हुए 6-7 वर्ष हो गये हैं। अब इतने वर्षों के बाद में धारा 22(3) की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जहां मियाद नहीं दी गयी है वहां धारा 137 मियाद अधिनियम के तहत 3 वर्ष की अवधि मानी जाती है। भूमि का अप्रार्थी ने कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा किश्त भी जमा करवा दी गयी है। इससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार को इस आवंटन की कोई अनियमितता नजर नहीं आई है। अब उस आवंटन आदेश इतने लम्बे अन्तराल के बाद धारा 22(3) की कार्रवाई की गई है। अब तहसीलदार डॉक्टरीन ऑफ एस्टोपल से बाधित है। आवंटन पूर्व में हुए आवंटन की एवज में किया गया है। इस कारण बार-बार सलाहकार समिति की राय नहीं ली जा सकती। दिनांक 28-9-2007 को किया गया आवंटन, पूर्व आवंटन के बदले में अन्यत्र भूमि का है। अतः नियम 22(3) प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पैरोकारराज व अप्रार्थी वकील की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा समस्त तथ्यों पर भी मनन किया गया।

राज्य पक्ष द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत नियम 22(3) के प्रार्थना पत्र में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन किया गया है जो प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है जिसके संबंध में संबंधित रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है कि मूल आवंटन विधिसम्मत है उक्त प्रकरण दोहरे आवंटन का है व प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखकर आवंटन करने का दायित्व आवंटन अधिकारी का है। इसमें आवंटी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसमें आवंटी की कोई गलती या दोष नहीं है। आर0आर0डी0 1993 पृष्ठ 801 अपील संख्या 193, 194 RULE 14(4) The completion of formalities is the responsibility of the revenue staff and it is for the concerned officers to ensure that all formalities have been completed (before an application is considered for allotment) where the allottee has committed no fraud nor has he made any misrepresentative his old allotment cannot be cancelled on mere technicalities. प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण में लागू होता है। मूल आवंटन दिनांक 12-6-2004 को किया गया। तत्पश्चात यह संपूर्ण रकबा अनकमाण्ड होने से उसकी रिपोर्ट भी संबंधित तहसीलदार, पटवारी द्वारा करने पर दिनांक 4-6-2007 को नियमानुसार आवंटन किया गया है। इस दिनांक को संबंधित तहसीलदार उपस्थित रहे हैं तथा समस्त कार्रवाई, आवंटन प्रक्रिया उनकी जानकारी में थी। इसके उपरान्त अप्रार्थी को दोहरे आवंटन होने के कारण दिनांक 28-9-2007 को अन्यत्र भूमि दी गयी है। यहां यह बिन्दु भी विचारणीय है कि राज्यपक्ष द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ लिमिटेशन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 22(3) जिसकी मियाद आवंटन से अथवा जानकारी से 30 दिन कानूनी है परन्तु लगभग 10 वर्ष की अवधि के उपरान्त यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मियाद बाहर है। पैरोकारराज द्वारा कोई ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं कि आवंटी आवंटन हेतु पात्रता नहीं रखता है। आवंटी भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखता था। आवंटी को भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित भूमि में से ही आवंटन किया गया है।

चूंकि अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है जिनको देश की सुरक्षा के उपलक्ष्य में व सेवानिवृत्ति के बाद उक्त कृषि भूमि आवंटित की गई है। आवंटी को मूल आवंटन की आड में विनिमय में दी गई भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रक्रियात्मक भूल त्रुटि की वजह से प्रकरण खारिज कर देना न्यायोचित नहीं होगा।

ऐसी स्थिति में उपनिवेशन तहसीलदार, नाचना-2 द्वारा नियम 22(3) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार, सारहीन एवं मियाद बाहर होने के आधार पर निरस्त किया जाता है तथा हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28-9-2007 को यथावत रखा जाकर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 28-09-2007 को किये गये दोहरे आवंटन की पुष्टि आगामी आवंटन सलाहकार समिति में करवाई जाकर खातेदारी संबंधी कार्रवाई की जावे।

निर्णय दिनांक 24-04-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० प्रदीप के. गावंडे)  
आयुक्त उपनिवेशन  
बीकानेर